कार्यालय जिलाधिकारी,मैनपुरी

संख्या : 1027/जि0आ0अधि0–मैनपुरी/पुन व्य0 2021–22/दिनांक ,अगस्त 26 2021

ई–टेण्डर सम्बन्धी विज्ञप्ति

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि कलैक्टर/लाइसेंस प्राधिकारी मैनपुरी के आदेश संख्या–1023/जि0आ0अ0–मैनपुरी/ दे0श0दु0–कुचैला/निरस्तीकरण/दिनांक, अगस्त 25, 2021 द्वारा देशी शराब दुकान कुचैला का अनुज्ञापन निरस्त कर दिया गया है। उक्त दुकान का व्यवस्थापन दिनांक 27.8.2021 से दिनांक 01.09.2021 के मध्य ई–टेण्डर/ऑफर के माध्यम से कराया जायेगा। तद्क्रम में ई–टेण्डर/आफर निम्नलिखित प्रक्रिया निर्धारित की जाती हैः–

1-	Tender publishing date	27.08.2021 at 11:30
2-	Document download start date	27.08.2021 at 12:30
3-	Document download end date	01.09.2021 at 09:00
4-	Pre bid meeting date	29.08.2021 at 11:00
5-	Bid submission start date	27.08.2021 at 17:30
6-	Bid submission closing date	01.09.2021 at 09:30
7-	Technical bid opening date	01.09.2021 at 10:00
8-	Financial bid opening date	01.09.2021 at 16:00
9-	The place of bid opening	NIC Mainpuri
10-	Tender inviting officer	Collector, Mainpuri

1. आवेदन/व्यवस्थापन से सम्बन्धित प्रक्रिया वेबसाइट www.etender.up.nic.in पर सम्पादित की जायेगी तथा जनपद की उपरोक्त देशी शराब दुकान कुचैला हेतु उक्त वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन ऑफर/आवेदन किया जा सकेगा। प्रत्येक आवेदक/ऑफरदाता को Digital Signature Certificate (DSC) भारत सरकार द्वारा अधिसूचित किसी भी एजेन्सी से अनिवार्य रूप से तैयार करानी होगी तथा www.etender.up.nic.in पर पंजीकरण करना होगा, जिसके माध्यम से वह मदिरा की दुकान हेतु आवेदन कर सकेगा। आवेदन केवल ऑनलाइन ही किया जा सकेगा।

2–ई–टेण्डर आमंत्रित करते समय प्रोसेसिंग फीस एवं धरोहर धनराशि के भुगतान हेतु **"फी–डिटेल"** वाले पेज पर **"फी–पेमेन्ट मोड"** के अन्तर्गत **"ऑनलाइन"** (चेक बाक्स) सलेक्ट किया जायेगा। उसके उपरान्त प्रोसेसिंग फीस एवं धरोहर धनराशि ई–टेण्डर पोर्टल पर केवल ऑनलाइन माध्यम से ली जायेगी। प्रोसेसिंग फीस एवं धरोहर धनराशि को ऑनलाइन जमा करने हेतु आवेदक के पास दो विकल्प उपलब्ध होंगे (1)इन्टरनेट बैंकिग (2)चालान, जिनमें से किसी एक माध्यम से आवेदक उक्त धनराशि जमा कर सकेगा। चयनित आवेदक के अतिरिक्त अन्य आवेदकों की जमा धरोहर धनराशि उनके उसी खाते में स्वतः वापस हो जायेगी।

3–मदिरा की दुकानों हेतु प्राप्त आफर में सर्वाधिक वार्षिक एम0जी0क्यू0/वार्षिक लाइसेंस फीस के ई–टेण्डर/आफर को स्वीकार किया जायेगा। यदि दो या दो से अधिक समान अधिकतम ई–टेण्डर/आफर प्राप्त होते है, तब जनपद स्तर पर ही मैनुअल लाटरी के माध्यम से ऐसे समान ई–टेण्डर/आफर में से एक को चुन कर व्यवस्थापन कराया जायेगा।

4–देशी मदिरा की दुकानों के संदर्भ में स्वीकृत ई–टेण्डर/आफर से प्राप्त वार्षिक एम0जी0क्यू0 को 12 के अगले गुणांक में निर्धारित किया जायेगा तथा तदनुसार बेसिक लाइसेंस फीस जमा करायी जायेगी।

5– आवेदक, ऑनलाइन ऑफर प्रकाशन की तिथि तक 21 वर्ष से कम आयु का नहीं होना चाहिए।

6–आवेदक के पक्ष में यदि कोई दुकान पूर्व में आवंटित हुई हो, तो उसका विवरण आवेदक द्वारा देना अनिवार्य होगा। यदि किसी व्यक्ति के नाम सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में देशी शराब, विदेशी मदिरा, बीयर एवं मॉडल शॉप को मिलाकर दो दुकानें हैं तो वह व्यक्ति आवेदन हेतु पात्र नहीं होगा।

विस्तृत विवरण आबकारी विभाग की वेबसाइट www.upexcise.in एवं जनपद की वेबसाइट http://mainpuri.nic.in पर भी उपलब्ध रहेगा तथा इस सम्बन्ध में अन्य जानकारी कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी कलेक्ट्रेट मैनपुरी से सम्पर्क कर प्राप्त की जा सकती है। अन्य व्यवस्थाऐं पूर्ववत् रहेगी।

दुकान से संबंधित विस्तृत विवरण निम्नवत् हैः—

क्र0सं0	दुकान का नाम	दुकान की प्रास्थिति	दुकान हेतु निर्धारित न्यूनतम वार्षिक बेसिक लाइसेंस फीस / लाइसेंस फीस (रू0में)			न्यूनतम धरोहर धनराशि (रू0 में)
			निर्धारित न्यूनतम वार्षिक एम0जी0क्यू0 (ब0ली0 में) 36 प्रतिशत वी / वी के टर्म में	न्यूनतम वार्षिक बेसिक लाइसेंस फीस (रू0में)	न्यूनतम वार्षिक लाइसेंस फीस (रू0 में)	
1.	देशी शराब दुकान कुचेला(15924)	ग्रामीण	23412 ब0ली0	831126.00	5291112.00	83113.00

नोटः—अन्य जानकारी कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी तथा क्षेत्रीय आबकारी निरीक्षक जनपद मैनपुरी से सम्पर्क कर प्राप्त की जा सकती है। **यह विज्ञप्ति सक्षम न्यायालय के निर्णय के अधीन होगी।**

26.08.21

(दिनेश कुमार)
जिला आबकारी अधिकारी,
मैनपुरी।

26.08.21

(महेन्द्र बहादुर सिंह)
लाइसेंस प्राधिकारी / जिलाधिकारी
मैनपुरी।

संख्या— 1028-30 / तद्दिनांक।

प्रतिलिपिः—1. सम्पादक दैनिक जागरण / हिन्दुस्तान मैनपुरी को इस अनुरोध के साथ कि विज्ञप्ति सशुल्क न्यूनतम स्थान में अपने समाचार पत्र में प्रकाशित कराने का कष्ट करें तथा बिल जिला सूचना अधिकारी,मैनपुरी से प्रमाणित कराकर भुगतान हेतु प्रस्तुत करें।

2. जिला सूचना अधिकारी मैनपुरी को जनपद की बेवसाइड पर अपलोड किये जाने हेतु प्रेषित।

26.08.21

(दिनेश कुमार)
जिला आबकारी अधिकारी,
मैनपुरी।